अधिकतम शासनः ई-शासन के माध्यम से जनपहुंच

रंजीत मेहता

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के आरंभ में हुई। 1990 के दशक की शुरुआत में यह साकार होती दिखी लेकिन इसकी व्यापकता हाल के वर्षों में, खासकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद बढ़ी है और एक-एक नागरिक तक इसे पहुंचाने का प्रयास सफल होता दिख रहा है

ई गवर्नेंस, सरकार के भीतर, सरकार और राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तर की सरकारी एजेंसियों, नागरिक व व्यवसायों के बीच, दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और सूचना और व्यवहार की जवाबदेही के आदान-प्रदान में बदलाव के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना तक पहुंच और उसके उपयोग के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना भी है।

ई-सरकार का उद्भव वेब जगत की सबसे मुख्य घटनाओं में से एक रहा है। चूंकि इंटरनेट ने डिजिटल समुदायों को विकसित होने और यह सोचने में कि वे वास्तव में देश (और विश्व) के आसपास के व्यक्तियों से जुड़ने में समर्थ हो रहे हैं, सहायता की है, इसने राष्ट्रीय सरकारों के लिए कई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत किए हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकारें मुख्य रूप से एक प्रतिनिधि तंत्र होती हैं जिसके तहत चयनित कुछ बहसें होती हैं और राष्ट्र राज्य के नागरिकों की ओर से उनके लिए विधान अधिनियमित किए जाते हैं। इसके विभिन्न पहलू हैं, जो ई-गवर्नेंस के संदर्भ में महत्व रखते हैं।

सरकारों द्वारा आईटी को वृहत् रूप से अपनाने का वैश्विक रुझान वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन के साथ नब्बे के दशक में उत्पन्न हुआ। तब से प्रौद्योगिकी के साथ ही ई-गवर्नेंस की पहलों ने एक लंबा सफर तय किया है। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन में बढ़ोतरी के साथ नागरिक व्यापक तरीके से संपर्क साधने की अपनी नई विधा का दोहन करने की कला सीख रहे हैं। वे सरकार और कॉर्पोरेट जगत से अधिक से अधिक सूचना और सेवा ऑनलाइन प्राप्त करने के प्रति उत्सुक हो रहे हैं। उनके स्थानीय तंत्र, व्यावसायिक और निजी जीवन में भी इसका दखल बढ़ रहा है, इस प्रकार पर्याप्त सबूत दर्शाते हैं कि *ई-नागरिकता* अपना प्रभाव जमा रही है।

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के आरंभ में हुई। हालांकि, 90 के दशक के आरंभ से, ई-गवर्नेंस ने एक व्यापक आयाम धारण किया। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की नीति पर जोर देने के लिए और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा निजी क्षेत्र से अधिक से अधिक आदानों को प्राप्त करने हेतु व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए इसकी जोरदार आवश्यकता महसूस हुई। शुरुआत में जहां जोर स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण पर था, बाद में सपंर्क, नेटवर्किंग, जानकारी प्राप्त करने और सेवाओं के वितरण के लिए प्रणाली स्थापित करने, को भी इसमें तत्काल शामिल कर लिया गया। मई 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के कार्यान्वयन का उद्देश्य आम आदमी के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने की दृष्टि से लागों के अपने क्षेत्र में ही वहनीय दर पर संयुक्त सेवा वितरण दुकानों के जरिए सरकारी सेवा की दक्षता, पारदर्शिता और इस तरह की सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था।

एनईजीपी में वर्तमान में 27 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) और 8 संपूरक

लेखक नयी दिल्ली स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक हैं। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं। छह पुस्तकें और दर्जनों शोध-पत्र लिख चुके हैं। पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ईमेलः ranjeetmehta@gmail.com

घटकों को शामिल किया गया है, जिन्हें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के स्तर में लागू किया जाना है। इनके तहत केंद्रीय स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और पासपोर्ट, राज्य स्तर पर भू-अभिलेख, कृषि और ई-जिला तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेना मुश्किल था। अब, जो उपभोक्ता इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें या तो अपने बैंक खाते के साथ और एलपीजी उपभोक्ता खाते में अपना आधार संख्या जुड़वाना होगा या जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे अपने 17 अंकों की एलपीजी पहचान को सीधे अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा।

सरकार में आईसीटी सेवाओं के प्रभावी उपयोग से मौजूदा क्षमता को बहुत बढ़ाया गया, संचार लागत में कमी आई और विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। इसने नागरिकों को ठोस लाभ के लिए आसान पहुंच प्रदान किया है, फिर चाहे वह ऑनलाइन फार्म भरने, बिल प्रदान और भुगतान करने जैसे साधारण अनुप्रयोग हों या फिर दूरस्थ शिक्षा और दूर-चिकित्सा जैसे जटिल अनुप्रयोग हों। हाल ही में ई-गवर्नेंस में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

पहल

पहल डीबीटीएल महत्वाकांक्षी योजना, रसोई गैस पर नकद सब्सिडी देने के उद्देश्य से पिछली सरकार द्वारा 1 जून, 2013 को शुरू की गई थी और इसमें 291 जिलों को कवर किया गया। वर्तमान सरकार ने व्यापक रूप से पहल योजना की जांच की और उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की समीक्षा करने के बाद इस योजना में सुधार किया गया और इसे फिर से 15 नवंबर, 2014 को शुरू किया। पहले चरण में इसके तहत 54 जिलों के 2.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया और देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए 1 जनवरी, 2015 को इस संशोधित योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। पिछली योजना में एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार संख्या के लिए अनिवार्य था।

बहरहाल, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेना मुश्किल था। अब, जो उपभोक्ता इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें या तो अपने बैंक खाते के साथ और एलपीजी उपभोक्ता खाते में अपना आधार संख्या जुड़वाना होगा या जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे अपने 17 अंकों की एलपीजी पहचान को सीधे अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा। एक बार इस योजना से उपभोक्ता के जुड़ जाने के बाद, उन्हें बाज़ार मूल्य पर सिलेंडर मिल जाएगा और उनके बैंक खाते में सीधे एलपीजी सब्सिडी पहुंच जाएगी। पहली बार इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ता के खाते में 568 रुपये की राशि का अग्रिम में भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जब उपभोक्ता पहली बार सिलेंडर की बुकिंग करेगा, तब बाज़ार मूल्य पर सिलेंडर का भुगतान करने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसे होंगे। यह राशि प्रत्येक सिलेंडर पर किए जाने वाले सब्सिडी भुगतान के अतिरिक्त है।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए, उन्हें इस योजना में हर स्तर पर एसएमएस भेजा जाता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से यह आग्रह किया जाता है कि यदि उन्होंने अपने वितरक के पास अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं कराया है, तो यथाशीघ्र ऐसा करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि केवल कैश मेमो के साथ ही सिलेंडर प्राप्त करें ताकि अपनी सब्सिडी स्थानांतरण के संबंध में आश्वस्त हो सकें।

योजना के तहत देश के 676 जिलों में 15.3 करोड़ उपभोक्ताओं से ज्यादा को कवर किया जाएगा। वर्तमान में 6.5 करोड़ उपभोक्ताओं अर्थात् 43 प्रतिशत ने पहले से ही योजना में शामिल हो चुके हैं और अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं।

डीबीटीएल को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि लाभ वास्तविक घरेलू ग्राहक तक सीधे पहुंचे और कहीं बंटे नहीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से जनता के पैसे को बचाया जाएगा। सभी एलपीजी ग्राहकों से तुरंत ऊपर बताए गए योजना में शामिल होने का अनुरोध किया जा रहा है।

15 नवंबर, 2014 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से 30 दिसंबर, 2014 तक 624 करोड़ रुपये की राशि 20 लाख से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए स्थानांतरित कर दी गई। इस योजना में अगर कोई सब्सिडी नहीं चाहता है तो वह इसे स्वेच्छा से छोड़ सकता है। भारत सरकार ने मार्च 2015 में *गिव इट अप* अभियान शुरू किया था, अप्रैल 2016 तक लगभग एक करोड़ लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी, इनमें मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया पहल, सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी पर केंद्रित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में हो रही देरी को दूर करने के लिए एक पुनर्प्रयास है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष खर्च सीमित हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण भारत में बसने वाली 68 प्रतिशत आबादी में से ज्यादातर के ऑनलाइन हो जाने से अप्रत्यक्ष मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

डिजिटल इंडिया, एकल कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों को समेटे हुए है, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार करना और पूरी सरकार के संकेंद्रित और समन्वित प्रयास से नागरिकों के लिए सुशासन लाना है।

डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों आदि के क्षेत्रों में समावेशी विकास पर लक्षित है। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है-

- प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना
- मांग पर शासन और सेवाएं
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

उपरोक्त लक्ष्यों के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ब्रॉडबैंड राजमार्ग, सार्वभौमिक

मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट जन पहुंच कार्यक्रम, ई-शासन: प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार में सुधार लाना, ई क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण: कुल शून्य आयात, नौकरियां और शीघ्र उपज कार्यक्रमों के लिए आईटी प्रदान करने पर लक्षित है। डिजिटल इंडिया, एकल कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों को समेटे हुए हैं, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार करना और पूरी सरकार के संकेंद्रित और समन्वित प्रयास से नागरिकों के लिए सुशासन लाना है।

एक बार जब छोटे व्यवसायों को आईएसपी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए, यह आगे की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा। उस स्तर को पाने में दो वर्ष का समय लग सकता है। एक आईएसपी, डिजिटल अवसंरचनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तर्ज पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीवाई) विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम की परिकल्पना और समन्वित किया गया है। डिजिटल इंडिया पर निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, सभी मौजूदा और चल रही और ई-शासन पहलों का डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ तालमेल करने के लिए पुर्नोत्थान किया गया है।

डिजिटल इंडिया कई अवयवों से बना है, लेकिन सबसे बड़ा अवयव अंतिम मील तक कनेक्टिविटी है। जहां, सरकार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त सेवा केंद्रों को फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जोड़ने पर विचार कर रही है, जिसकी उन्हें जरूरत है।

सरकार ने नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी लाने के उद्देश्य से फाइबर ऑपटिक्स बिछाने के लिए नियुक्त किया है। बहरहाल, इसका व्यापारिक हिस्सा अभी अस्पष्ट है। सरकार अब ऐसे उद्यमियों की तलाश में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लक्ष्य को पाने के लिए आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाता) की स्थापना कर सके। एक बार जब छोटे व्यवसायों को आईएसपी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए, यह आगे की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा। उस स्तर को पाने में दो वर्ष का समय लग सकता है। एक आईएसपी, डिजिटल अवसंरचनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तर्ज पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है।

इस बीच, डिजिटल इंडिया पहल और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से उत्साहित निजी क्षेत्र भारतीय कंपनियों द्वारा तकनीक खर्च के संबंध में आशान्वित है। भारत की प्रौद्योगिकी खरीद, जिसमें कंप्यूटर और परिधीय उपकरण, संचार उपकरण सॉफ्टवेयर, तकनीकी परामर्श सेवाएं, तकनीक आउटसोर्सिंग और हार्डवेयर रखरखाव शामिल हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2017 में 12 प्रतिशत की दर से विकसित होगा।

प्रौद्योगिकी व्यय 2015 में 2.08 खरब रुपये से 2016 में 2.32 खरब रुपये और 2017 में 2.59 खरब रुपये तक पहुंच जाएगा। इस खर्च का एक तिहाई भाग हार्डवेयर पर खर्च होगा जो भारतीय कंपनियों के लिए खर्च का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि, संचार उपकरण खर्च बाकी की तुलना में बहुत धीरे-धीरे बढ़ेगा क्योंकि बाज़ार परिपक्व होने के साथ ही कीमतों में गिरावट जारी है। डिजिटल इंडिया को आकर्षण मिलने और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 4जी जैसे नए और बेहतर संचार नेटवर्क लांच करने से भी यही होगा।

2014-15 में केंद्र सरकार ने शुरुआती दौर में फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना बनाई, जिसे बाद में घटाकर 50,000 कर दिया गया। मार्च 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग केवल 20,000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के तहत कवर किया गया था, जिसका बाद में नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2015 तक 32,272 ग्राम पंचायतों को 76,624 किमी फाइबर के साथ कवर किया गया था। भारतनेट परियोजना, सभी ग्रामीण घरों और संस्थानों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2017 तक एक उत्कृष्ट नेटवर्क स्थापित करने पर लक्षित है।

डिजिटल इंडिया: प्रमुख परियोजनाएं

विभिन्न परियोजनाओं/उत्पादों को पहले से ही शुरू किया गया है या जो कुछ शुरू किए जाएंगे, निम्नलिखित हैं:

1. डिजिटल लॉकर प्रणाली: इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई-दस्तावेजों के आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम प्रणाली स्थापित करना है। ई दस्तावेजों के आदान-प्रदान, पंजीकृत खजाने के माध्यम से किया जाएगा जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
2. शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए MyGov.in को एक मंच के रूप में शुरू किया गया है। इसके लिए 'चर्चा (डिस्कस)', 'करना (डू)' और 'प्रसार (डिससेमिनेट)' का 3डी का रास्ता चुना गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल पर इन सुविधाओं को MyGov मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
3. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम): मोबाइल ऐप को स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

दिसंबर, 2015 तक 32,272 ग्राम पंचायतों को 76,624 किमी फाइबर के साथ कवर किया गया। भारतनेट परियोजना, सभी ग्रामीण घरों और संस्थानों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2017 तक एक स्केलेबल नेटवर्क स्थापित करने पर लक्षित है।

4. ई हस्ताक्षर फ्रेमवर्क के जरिए नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर ऑनलाइन डिजिटल रूप में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी।
5. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) को ई हॉस्पिटल एप्लिकेशन के तहत शुरू किया गया है। यह एप्लिकेशन ऑनलाइन

पंजीकरण, शुल्क का भुगतान और मिलने का समय, ऑनलाइन नैदानिक (क्लीनिकल) रिपोर्ट, रक्त उपलब्धता की ऑनलाइन पूछताछ आदि के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है।

6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लाभार्थी तक भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने सभी छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है। यहां छात्र के आवेदन करने के साथ ही उसका सत्यापन, मंजूरी और लाभार्थी को भुगतान करने की सुविधा मौजूद है।
7. डीईआईटीवाई ने देश में बड़े पैमाने पर रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी) नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इससे नागरिकों को सेवाओं की कुशल वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
8. भारत सरकार ने भारत नेट नाम की एक पहल शुरू की है, यह देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का एक उच्च गति डिजिटल राजमार्ग है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी।
9. बीएसएनएल ने 30 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) शुरू की है, यह आवाज, डेटा, मल्टीमीडिया /वीडियो और अन्य प्रकार के पैकेट स्वीच संचार सेवाओं जैसे सभी प्रकार की सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक आईपी आधारित प्रौद्योगिकी है।
10. बीएसएनएल ने देश भर में बड़े पैमाने पर वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने की शुरुआत की है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं।

11. इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिक सेवाएं देने और नागरिक और अधिकारियों के बीच संवाद में सुधार के लिए एक सार्वभौमिक पहुंच की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार को भी इसका एहसास है, यह *ब्रॉडबैंड राजमार्ग* को डिजिटल इंडिया के स्तंभों में शामिल करने से परिलक्षित होता है। जहां कनेक्टिविटी एक कसौटी है, वहीं नागरिकों के लिए सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना और उपलब्ध कराना दूसरे मानदंड हैं।

नीतिगत पहल

ई-क्रांति फ्रेमवर्क, भारत सरकार के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की नीति, ई-गवर्नेंस सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए फ्रेमवर्क, भारत सरकार के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए नीति, भारत सरकार की ई-मेल नीति, भारत सरकार के आईटी संसाधनों के उपयोग पर नीति, सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड को खोलकर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास की नीति, क्लाउड रेडी अनुप्रयोगों के लिए दिशानिर्देश का विकास और पुनर्गठन जैसे नीतिगत पहलों को (डीईआईटीवाई के द्वारा) भी ई-शासन के क्षेत्रों में शुरू किया गया है।

- बीपीओ नीति को विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के छोटे/मुफस्सिल शहरों में बीपीओ केंद्रों को स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ईडीएफ) नीति नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए और वेंचर फंड का एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए देश के भीतर आईपी का एक संसाधन पूल तैयार करने पर लक्षित है।
- लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीफलेक्सई) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- इंटरनेट पर उत्कृष्टता केंद्र (आईओटी) पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), अरनेट और नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है।

ई-गवर्नेंस सुधार, भारत की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में काम करने में सक्षम है। हम मानते हैं कि इस तरह के हस्तक्षेप से गरीबों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में मदद मिल सकती है।

अब यह निर्धारित करना है कि भारत के सबसे गरीब लोगों के लाभों के प्रभावों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठाया जाए। डीबीटी के गुण और दोष आशाओं और मान्यताओं का मिश्रण हैं, लेकिन डीबीटी अच्छे के लिए है और निश्चित रूप से इससे सभी हितधारकों यानि सरकार, लाभार्थियों और निजी संस्थानों को फायदा होगा। यह प्रत्येक लाभार्थी को उनका हिस्सा समय पर प्रदान कर, आर्थिक समानता के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा। ❑

(पृष्ठ 15 से जारी ...)

नीली क्रांति

मत्स्य क्षेत्र विकास और मछुआरा समुदाय के कल्याण की अपार संभावनाओं को देखते हुए *नीली क्रांति* के तहत मत्स्य क्षेत्र विकास की एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है। *नीली क्रांति* के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मत्स्य से संबंधित विविध योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अगले पांच वर्ष के लिए 3000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

बजटीय सहायता

इन सभी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया है। वर्ष 2016-17 के लिए कृषि मंत्रालय हेतु 35984 करोड़ रुपये की विशाल बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 के लिए किसानों के वास्ते 9 लाख करोड़ रुपये की ऋण सहायता की भी परिकल्पना की गई है। सबसे बढ़कर, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण और सामाजिक क्षेत्र के अन्य प्रयासों में निवेश से गांवों के कायाकल्प में मदद मिलेगी। ये सभी उपाय किसानों के कल्याण में सहायक होंगे और ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक समृद्धि लाएंगे। ❑